



- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कल निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में नामांकन पत्रों की जांच का कार्य किया गया।
- तेरह उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए।
- पत्र सूचना ब्यूरो-पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को एमसीसी का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
- आज गुड फ्राइडे है-द्वीपों के विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं।



अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए पहले चरण के तहत उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य कल किया गया। द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जांच कार्य के बाद कुल तेरह उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के बिष्णु पद रे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी. अय्यप्पन, बहुजन समाज पार्टी के डॉ. अरुण कुमार मल्लिक, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के मनोज पॉल, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के केजेबी सेल्वाराज, एसयूसीआई के सलामत मंडल के अलावा छः निर्दलीय उम्मीदवारों के भी नामांकन पत्र सही पाए गए। श्री अर्जुन शर्मा ने बताया कि इन छः निर्दलीय उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने अपने पार्टी के नाम से नामांकन भरा था। तकनीकी खामियों के चलते चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इन दोनों उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया गया। इनमें के. वेंकटराम बाबू और वी.के अब्दुल अजीज शामिल हैं। इनके अलावा आनन्द रामनाथ अरलेकर, रिकुमाला मंडल, वी.एस भास्करण और उषा कुमारी के भी नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किए गए।



पत्र सूचना ब्यूरो— पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट— [pib.gov.in@elect2024@index.aspx](http://pib.gov.in@elect2024@index.aspx) शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फिल्टर बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडिया कर्मी, चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से पत्रकार, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट की जाएगी।



चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के चुनाव के लिए सोलह मार्च को चुनाव सारणी की घोषणा की गई और इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार-संहिता लागू हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने तथा मतदाताओं को मतदान के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा एमसीसी का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भी एमसीसी का पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निर्देश दिया गया है। एमसीसी के क्रियान्वयन के लिए सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया प्रमाणन तथा निगरानी समिति स्थापित की गई है, ताकि पेड न्यूज पर नजर रखी जा सके और इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों के प्रचार-प्रसार से पहले इसकी अनुमति प्रदान की जा सके। इस संबंध में सभी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने वालों से कहा गया है कि वे विज्ञापन और विषयों को प्रसारित करने से पहले इसकी स्वीकृति मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्राप्त कर लें। एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया को परिपत्र जारी कर एमसीसी नियमों का पालन करने और द्वीपों में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में सहयोग देने को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा आयोग की ओर से अलग-अलग निर्देशों के तहत विज्ञापनों के किसी भी माध्यम से प्रचार-प्रसार से पहले इसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही माध्यम है। इसलिए आयोग का यह निर्देश इन पर भी लागू होता है।





नगरपालिका परिषद ने उपभोक्ताओं से घरेलू और वाणिज्यिक पानी तथा सम्पत्ति कर की बकाया राशि की अदायगी करने को कहा है। लोग कल और इक्कतीस मार्च को दिन में साढ़े बारह बजे तक नगरपालिका मुख्यालय में बकाया राशि की अदायगी कर सकते हैं।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान के कई भागों में तीस मार्च को सुबह आठ बजे से दिन में दो बजे तक बिजली की कटौती की जाएगी। इस दौरान बिजली से संबंधित कई कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा तीस मार्च को ही सुबह साढ़े सात बजे से दिन में दो बजे तक प्रातरापुर, पत्थरगड्ढा, भातुबस्ती और न्यू पहाड़गांव क्षेत्र में भी बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।

<><><><><><><><>